वन अनुसंधान संस्थान

FOREST RESEARCH INSTITUTE

भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद्

(INDIAN COUNCIL OF FORESTRY RESEARCHAND EDUCATION)

डाकघर : न्यू फॉरेस्ट, देहरादून

P.O. NEW FOREST, DEHRADUN (Uttarakhand)

Advt. No. 1/FRI/GC/2020 **Date: 11 / August /2020**

Online Applications are invited from Indian nationals for the following posts :-

निम्नलिखित पदों के लिए भारतीय नागरिकों से ऑनलाईन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं

Sl. No. क्रम सं	Name of post पद का नाम	7th CPC Pay Level	No. of vacancies रिक्तियों की संख्या	Group समूह	Category वर्ग					Educational qualification शैक्षणिक योग्यता	Age आयु
					UR	SC	ST	OBC	EWS		
1.	Library Information Assistant पुस्तकालय सूचना सहायक	Level-6	01	-	01	00	00	00	00	Graduate form recognized University with Bachelor's degree in Library Science from recognized University. मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से पुस्तकालय विज्ञान में स्नातक की उपाधि सहित मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक।	Not below 18 years or exceeding 27 years. 18 **वर्ष से कम या** 27 **वर्ष से अधिक नहीं।**
2.	Technical Assistant (Field/Lab Research) (59post) तकनीकी सहायक (क्षेत्र / प्रयोगशाला अनुसंधान) (59 पद)	Level-5	62 (Including 02 PH (OL, OA,BH,D, H,PD**)**, 06 Ex-Serviceman, 01 Sports Person)	Biological Science (37 Posts)	21	08	00	04	04	Bachelor degree in Science from a recognized University with Botany/Zoology/ Forestry / Environment / Ecology /Bio Technology/ Genetics/Micro-Biology /Geology/ Bio-Chemistry as one of the subject. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विज्ञान स्नातक की उपाधि जिसमें वनस्पति विज्ञान / प्राणि विज्ञान /वानिकी / पर्यावरण / पारिस्थितिकी जैव प्रौद्योगिकी / आनुवंशिकी / सूक्ष्मजैविकी / भूगर्भविज्ञान /जीव रसायन में से कोई भी एक विषय हों।	Not below 21 years or exceeding 30 years. 21 **वर्ष से कम या** 30 **वर्ष से अधिक नहीं।**
				Physical Science (22 Posts)	12	03	00	04	03	Bachelor degree in Science from a recognized University with Physics/ Applied-Physics/ Material Science/ Instrumentation/ Chemistry /Mathematics/Statistics/Bio-informatics/ Geo-informatics as one of the subject. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विज्ञान स्नातक की उपाधि जिसमें रसायन / भौतिक विज्ञान / अनुप्रयुक्त-भौतिकी / पदार्थ विज्ञान / यंत्रीकरण/ गणित / सांख्यिकी / जैव सूचना विज्ञान / भू-सूचना विज्ञान में से कोई भी एक विषय हों।	

	Technical Assistant (Maintenance) (03post) तकनीकी सहायक (रखरखाव) (03 पदें)			IT/Computer Science (02 Posts)	01	01	00	00	00	BSc. in computer Science/ Information Technology from a recognized University. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कंप्यूटर विज्ञान / सूचना प्रौद्योगिकी में विज्ञान स्नातक। **or** 3 years diploma in Engineering in computer Science/ Information Technology from a recognized Institution. किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से कंप्यूटर विज्ञान / सूचना प्रौद्योगिकी में इंजीनियरी में 3 वर्ष का डिप्लोमा। **or** 10+2 with Science from a recognized board+2 years diploma in computer Science/ Information Technology from a recognized University/ Institution. किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से विज्ञान सहित 12 वीं पास एवं किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / संस्थान से कंप्यूटर विज्ञान / सूचना प्रौद्योगिकी में 2 वर्ष का डिप्लोमा।	Not below 21 years or exceeding 30 years. 21 **वर्ष से कम या** 30 **वर्ष से अधिक नहीं।**
				Instrumentation (01 Posts)	01	00	00	00	00	B.Sc in Instrumentation from a recognized University. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से यंत्रीकरण में **विज्ञान** स्नातक की उपाधि। **or** 3 years diploma in Engineering in Instrumentation from a recognized Institution. किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से यंत्रीकरण में इंजीनियरी में 3 वर्ष का डिप्लोमा। **or** 10+2 with Science from a recognized board+2 years diploma in Instrumentation from a recognized University/ Institution. किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से विज्ञान सहित 12वीं पास एवं किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / संस्थान से यंत्रीकरण में 2 वर्ष का डिप्लोमा।	
3.	Steno Grade-II	Level-4	04	-	04	00	00	00	00	(i) 12th pass certificate from a recognized Board. किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं पास प्रमाण पत्र।.	Not below 18 years or exceeding 27

	आशुलिपिक ग्रेड-II									(ii) Should possess a minimum speed of 80 words per minute in Stenography English/ Hindi on the basis of competitive examination to be conducted by the concerned Director of the Institute. संबंधित संस्थान के निदेशक द्वारा आयोजित की जाने वाली प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर अंग्रेजी / हिंदी आशुलिपि में 80 शब्द प्रति मिनट की न्यूनतम गति होनी चाहिए। (iii) Certificate Course in computer application – typing speed 5 key depression for each word. कंप्यूटर एप्लिकेशन में सर्टिफिकेट कोर्स - टाइपिंग गति प्रत्येक शब्द के लिए 5 की डिप्रेशन।	years. 18 **वर्ष से कम या** 27 **वर्ष से अधिक नहीं।**
4.	Multi Tasking Staff बहू कार्य कर्मी	Level-1	40 (Including 01 PH (Bl,BA,OL, OA,BH,MW,PB,D,H, PD,ID), 04 Ex-Service .man, 01 Sports Person)	-	19	06	01	09	05	**Essential:** 10th standard pass from recognized Board/ recognized school. **Desirable:** 3 years or more experience in relevant field. **आवश्यक: मान्यता प्राप्त बोर्ड / मान्यता प्राप्त स्कूल से 10वीं कक्षा उत्तीर्ण।** **वांछनीय: संबंधित क्षेत्र में 3 वर्ष या उससे अधिक का अनुभव।**	Not below 18 years or exceeding 27 years. 18 **वर्ष से कम या** 27 **वर्ष से अधिक नहीं।**
				Total Posts (107)	59	18	1	17	12		

Note:- ध्यान दें:

1. **The number of vacancies are subject to variation.**
   रिक्त पदों की संख्या घट बढ सकती है।
2. **Essential qualification are mandatory for all posts.**
   सभी पदों के लिए आवश्यक योग्यताए अनिवार्य है।
3. **The vacancies of PH/Ex-Service man/ Sports persons will be filled up first and adjusted against respective categories.**
   दिव्यांग/भूतपूर्व सैनिक/खिलाड़ी व्यक्तियों की रिक्तियों को पहले भरा जाएगा और संबंधित श्रेणियों में समायोजित किया जाएगा।

<u>Abbreviation:-</u>BL-Both legs affected but not arms, BA- both arms affected (a) impaired (b) weakness of grip, OL-one leg affected (R and/or L), OA-one arm affected (R or L) (a) impaired reach (b) weakness of grip (c) ataxia, BH-Stiff back and hips (cannot sit or stoop), MW- muscular weakness and limited physical endurance, IC-general in –co-ordination of movement, PB-partially blind, D- the deaf, H-hearing, PD-partially deaf, Intellectual disability

GENERAL INFORMATION / DETAILS ABOUT THE POST सामान्य जानकारी / पद संबंधी विवरण

1. Candidates should fully satisfy themselves before applying that they possess the qualification and experience etc. as laid down in this advertisement.

   अभ्यर्थियों को आवेदन करने से पहले पूरी तरह से संतुष्ट होना चाहिए कि वे इस विज्ञापन में निर्धारित योग्यता और अनुभव आदि प्राप्त किए हैं।

2. The applicant will be responsible for the authenticity of information / documents and photograph submitted. It is the responsibility of the candidate to assess his / her own eligibility to the post(s) for which he / she is appearing in accordance to this advertisement. If it is detected at any time in future, during the process of selection or even after appointment that the candidate was not eligible as per the prescribed Recruitment Rules of the Institute which could not be detected at the time of selection for whatsoever reason, his/her candidature/appointment shall be liable to be cancelled/terminated immediately and appropriate action will be initiated against him/her.

   आवेदक प्रस्तुत किए गए सूचना / दस्तावेजों और फोटोग्राफों की सत्यता की जानकारी हेतु स्वयं उत्तरदायी होगा। अभ्यर्थी का उत्तरदायित्व है कि वह इस विज्ञापन के अनुसार अभ्यर्थित पद (पदों) हेतु अपनी पात्रता का स्वयं आकलन कर लें। यदि भविष्य में किसी भी समय, चयन की प्रक्रिया के दौरान या नियुक्ति के बाद भी यह पता लगता है कि उम्मीदवार संस्थान के निर्धारित भर्ती नियमों के अनुसार पात्र नहीं है, जो कि चयन के समय पता नहीं लगाया जा सका, जो भी कारण हो, तो उसके कारण उसकी उम्मीदवारी / नियुक्ति तुरंत रद्द / समाप्त कर दी जाएगी और उसके विरुद्ध उचित कार्रवाई शुरू की जाएगी।

3. All above posts are as per the ICFRE pay scales and carry allowances like House Rent, Transport and Children's Education as admissible to ICFRE employees of the respective pay level posted in ICFRE/FRI.

   उपरोक्त सभी पद भा.वा.अ.शि.प. वेतनमान के अनुसार हैं और भा.वा.अ.शि.प. /व.अ.सं. में नियुक्त भा.वा.अ.शि.प. के कर्मचारियों को स्वीकार्य मकान किराए, परिवहन और संतान शिक्षा जैसे भत्तों के अनुरूप होंगे।

4. These posts will be covered under New Pension Scheme of Govt. of India and incumbent will be eligible for other benefits like Medical, LTC, etc. as per the Government / Institute norms.

   इन पदों को भारत सरकार की नई पेंशन योजना व्यवस्था के अंतर्गत समाहित किया जाएगा और सरकार / संस्थान के मानदंडों के अनुसार उनके आश्रित चिकित्सा, छुट्टी यात्रा रियायत आदि जैसे अन्य लाभों के लिए पात्र होंगे।

5. The qualification prescribed should have been obtained from recognized Universities /Board/ Institutions.

   निर्धारित योग्यता मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों / बोर्ड / संस्थानों से प्राप्त की जानी चाहिए।

6. No change in category will be considered once the application has been submitted by the candidate.

   उम्मीदवार द्वारा आवेदन प्रस्तुत किए जाने के बाद श्रेणी में किसी भी बदलाव पर विचार नहीं किया जाएगा

7. Candidates seeking reservation benefits available for the respective categories must ensure that they are entitled to such reservation as per eligibility prescribed in Government of India (GoI) orders and possess the valid certificates in the format prescribed by GoI in support of their claim.

   संबंधित श्रेणियों के लिए उपलब्ध आरक्षण लाभ प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि वे भारत सरकार के आदेशों में निर्धारित पात्रता के अनुसार इस तरह के आरक्षण के हकदार हैं तथा उनके दावे के समर्थन में भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप में वैध प्रमाण पत्र हैं।

8. In case of posts reserved for OBC, their caste should be in the central list of OBCs and they should be in the Non Creamy Layer Category.

   अ.पि.व. के लिए आरक्षित पदों के मामले में, उनकी जाति अ.पि.व. की केंद्रीय सूची में होनी चाहिए और उन्हें 'नॉन क्रीमी लेयर' श्रेणी में होना चाहिए।

9. Age relaxation as admissible to Physically Handicapped / Ex-Serviceman/ Sports person applicants shall be considered as per Government of India norms. Such candidates must ensure that they are entitled to relaxation and possess the valid certificates / documents prescribed by GoI in support of their claim.

   शारीरिक रूप से दिव्यांग / भूतपूर्व सैनिक / खिलाडी आवेदकों के लिए आयु में छूट भारत सरकार के मानदंडों के अनुसार दी जाएगी। ऐसे अभ्यर्थियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे छूट के हकदार हैं और उनके दावे के समर्थन में भारत सरकार द्वारा निर्धारित वैध प्रमाण पत्रों / दस्तावेजों के अधिकारी हैं।

10. Age relaxation/ आयु में छूट

    a) Age relaxation for Scheduled Caste (SC), Scheduled Tribe (ST), Other Backward Class (OBC) Non Creamy Layer (NCL) wherever applicable and admissible.

       अनुसूचित जाति (अ.जा.), अनुसूचित जनजाति (अ.ज.जा.), अन्य पिछड़ा वर्ग (अ.पि.व.) नॉन क्रीमी लेयर (एनसीएल) के लिए आयु में छूट, जहां भी लागू हो, स्वीकार्य होंगे।

    b) All candidates, irrespective of community may be considered against UR vacancies, subject to fulfilment of eligibility criteria prescribed for UR candidates. However, against the vacancies earmarked for specific communities (SC/ST/OBC-NCL/EWS), only candidates belonging to that community will be considered.

सभी अभ्यर्थी चाहे किसी भी समुदाय के हो, यदि वे अनारक्षित अभ्यर्थियों हेतु निर्धारित पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं तो उन्हें अनारक्षित रिक्तियों हेतु पात्र माना जाएगा।

c) For availing reservation, SC/ST/OBC-NCL/EWS candidates should furnish valid Caste/Category Certificate from Competent Authorities at the time of document verification.

अ.जा./ अ.ज.जा./ अ.पि.व.- एनसीएल / आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (आ.क.व.) अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ उठाने के लिए दस्तावेज सत्यापन के समय सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त वैध जाति/ श्रेणी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

d) Further, in case of OBC-NCL candidates, the certificates should specifically indicate that the candidate does not belong to the Persons/Sections (Creamy Layer) mentioned in Column 3 of the Schedule of the Government of India, Department of Personnel and Training O.M.No.36012/22/93- Estt. (SCT) dated 08.09.93 & its subsequent revision through O.M.No.36033/3/2004-Estt. (Res) dated 09.03.2004, 27.05.2013, 13.09.2017 and further revision if any received till the closing date for ONLINE Registration. The candidate should ensure that he/she belongs to the OBC- Non Creamy Layer category while applying for the posts against this notice. Such candidate should produce a valid OBC certificate in the prescribed format during Document Verification. Further, in addition to the Category Certificate (OBC-NCL), a declaration if required has to be furnished by the candidate during Document Verification, that he/she does not belong to the creamy layer, otherwise, their claim for reserved status (OBC-NCL) will not be entertained and the candidature/application of such candidates, if fulfilling all the eligibility conditions prescribed for General (Un- reserved) category, will be considered against General (UR) vacancy only.

इसके अतिरिक्त, अ.पि.व.- एनसीएल अभ्यर्थियों की स्थिति में, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के का.ज्ञा.सं. 36012/22/93-स्थापना (एससीटी) दिनांक 08.09.93 एवं इसके बाद के संशोधन का.ज्ञा.सं. 36033/3/2004-स्थापना (आर.) दिनांक 09.03.2004, 27.05.2013, 13.09.2017 के माध्यम से तथा यदि ऑनलाइन पंजीकरण के लिए अंतिम तिथि तक कोई संशोधन प्राप्त होता है तो प्रमाण पत्र में विशेष रूप से दर्शाना चाहिए कि अभ्यर्थी भारत सरकार की अनुसूची के कॉलम 3 में उल्लिखित व्यक्ति / श्रेणी (क्रीमी लेयर) से संबंधित नहीं है। अभ्यर्थी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वह इस सूचना में उल्लेखित पदों के लिए आवेदन करते समय अ.पि.व - नॉन क्रीमी लेयर श्रेणी से संबंधित है। ऐसे अभ्यर्थी को दस्तावेज़ सत्यापन के दौरान निर्धारित प्रारूप में वैध अ.पि.व प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। इसके अतिरिक्त, श्रेणी प्रमाणपत्र (अ.पि.व.- एनसीएल) के अलावा, यदि आवश्यक हो तो दस्तावेज़ सत्यापन के दौरान अभ्यर्थी द्वारा एक घोषणा-पत्र प्रस्तुत करना होगा कि वह क्रीमी लेयर से संबंधित नहीं है, अन्यथा, आरक्षित स्थिति के लिए उनका दावा (अ.पि.व.- एनसीएल) स्वीकार नहीं किया जाएगा और ऐसे अभ्यर्थियों की उम्मीदवारी / आवेदन, यदि सामान्य (अनारक्षित) श्रेणी के लिए निर्धारित सभी पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं, तो उनको केवल सामान्य (अनारक्षित) रिक्ति में माना जाएगा।

e) As per DoPT OM No. 36039/1/2019-Estt (Res) dated 31.01.2019 Reservation for Economically Weaker Sections (EWS): Candidates who are not covered under the scheme of reservation for SC/ST/OBCNCL and whose family has gross annual income below Rs 8.00 Lakh (Rupees eight lakh only) are to be identified as EWS for benefit of reservation for EWS. The income shall also include income from all sources i.e. salary, agriculture, business, profession etc. for the financial year prior to the year of application. Also candidates whose family owns or possesses any of the following assets shall be excluded from being identified as EWS, irrespective of family income:

DoPT OM No. 36039/1/2019-Estt (Res) दिनांक 31.01.2019 के अनुसार आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (आ.क.व.) के लिए आरक्षण: वे अभ्यर्थी जो अ.जा. / अ.ज.जा. / अ.पि.व.एन.सी.एल. के लिए आरक्षण की योजना के अंतर्गत नहीं आते हैं और जिनके परिवार की सकल वार्षिक आय रु. 8.00 लाख (आठ लाख रुपये मात्र) रुपये से कम है उनको आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आरक्षण के लाभ के लिए आ.क.व. के रूप में चिह्नित किया जाएगा। परिवार की आय के रूप में आवेदन के वर्ष से पूर्व वित्तीय वर्ष के सभी स्रोतों अर्थात् वेतन, कृषि, व्यवसाय, वृत्ति आदि से प्राप्त आय भी सम्मिलित होगी। ऐसे अभ्यर्थी जिनके परिवार के पास निम्नलिखित में से कोई भी संपत्ति है या वे उसके मालिक है, उनके पारिवारिक आय के बावजूद उनको आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से बाहर रखा जाएगा:

i. 5 acres of agricultural land and above

   5 एकड़ और उससे अधिक कृषि भूमि;

ii. Residential flat of 1000 sq. ft. and above

   1000 वर्ग फुट और उससे अधिक का आवासीय फ्लैट;

iii. Residential plot of 100 sq. yards and above in notified municipalities;

   अधिसूचित नगरपालिकाओं में 100 वर्ग गज और उससे अधिक का आवासीय भूखंड;

iv. Residential plot of 200 sq. yards and above in areas other than the notified municipalities.

   अधिसूचित नगरपालिकाओं के अतिरिक्त अन्य स्थानों में 200 वर्ग गज और उससे अधिक के आवासीय भूखंड।

f) The property held by a “Family” in different locations or different places/cities would be clubbed while applying the land or property holding test to determine EWS status. The term “Family” for this purpose will include the person who seeks benefit of reservation, his/her parents and siblings below the age of 18 years as also his/her spouse and children below the age of 18 years.

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का दर्जा निर्धारित करने के लिए भूमि या संपत्ति धारण परीक्षण लागू करते समय विभिन्न स्थानों या विभिन्न जगहों / शहरों में एक "परिवार" द्वारा अपने अधिकार में रखी गई संपत्ति को संयोजित किया जाएगा। इस प्रयोजन के लिए "परिवार" में वह व्यक्ति शामिल होगा जिसे आरक्षण का लाभ चाहिए तथा इसमें उसके माता-पिता और 18 वर्ष से कम आयु के भाई-बहन, जीवनसाथी एवं 18 वर्ष से कम आयु के बच्चें भी सम्मिलित होंगे।

g) The benefit of reservation under EWS can be availed upon production of an Income and Asset Certificate issued by a Competent Authority. The Income and Asset Certificate issued by any one of the following authorities shall only be accepted as candidate's claim as belonging to EWS:

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के तहत आरक्षण का लाभ सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी आय और संपत्ति प्रमाण पत्र की प्रस्तुति पर लिया जा सकता है। निम्नलिखित में से किसी एक अधिकारी द्वारा जारी आय और संपत्ति प्रमाणपत्र ही आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से संबंधित उम्मीदवार के दावे के रूप में स्वीकार किया जाएगा:

a. District Magistrate / Additional District Magistrate / Collector / Deputy Commissioner / Additional Deputy Commissioner / 1st Class Stipendary Magistrate / Sub-Divisional Magistrate / Taluka Magistrate / Executive Magistrate / Extra Assistant Commissioner.

   जिला मजिस्ट्रेट / अपर जिला मजिस्ट्रेट / कलेक्टर / उपायुक्त / अपर उपायुक्त / प्रथम श्रेणी वैतनिक मजिस्ट्रेट / उपप्रभागीय मजिस्ट्रेट / तालुका मजिस्ट्रेट / कार्यकारी मजिस्ट्रेट / अतिरिक्त सहायक आयुक्त।.

b. Chief Presidency Magistrate/ Additional Chief Presidency Magistrate/Presidency Magistrate.

   मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट / अपर मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट / प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट।

c. Revenue Officer not below the rank of Tehsildar and

   राजस्व अधिकारी, जो तहसीलदार के पद से नीचे न हो, तथा

d. Sub-Divisional Officer of the area where the candidate and/or his family normally resides.

   उस क्षेत्र के उपप्रभागीय अधिकारी जहां उम्मीदवार और / या उनका परिवार सामान्य रूप से रहता है।

h) The candidates applying against the vacancies reserved for EWS must possess Income and Asset Certificate as on closing date of registration of application for this notice. Further, these candidates are also required to produce valid Income and Asset Certificate during document verification. Failing in these stipulations, their claim for reserved status under EWS will not be

entertained and the candidature / application of such candidates, if fulfilling all the eligibility conditions prescribed for General (Un-reserved) category, will be considered under General (UR) vacancies only.

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आरक्षित रिक्तियों में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के पास इस सूचना में उल्लिखित आवेदन के पंजीकरण की अंतिम तिथि तक आय और संपत्ति प्रमाणपत्र अवश्य होना चाहिए। इसके अतिरिक्त, इन अभ्यर्थियों को दस्तावेज़ सत्यापन के दौरान वैध आय और संपत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। इन शर्तों के पालन न करने पर, आ.क.व. के तहत आरक्षित स्थिति के लिए उनका दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा और ऐसे उम्मीदवारों की उम्मीदवारी / आवेदन, यदि सामान्य (अनारक्षित) श्रेणी के लिए निर्धारित सभी पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं, तो उन्हें केवल सामान्य (अनारक्षित) रिक्तियों के तहत विचार किया जाएगा।

i) Candidates belonging to SC/ST/OBC-NCL/EWS who fulfil required educational qualification/Technical/Professional qualifications can also apply against UR vacancies. They will however, have to compete with the UR candidates and will not be eligible for any relaxation including age relaxation.

अ.जा. / अ.ज.जा. / अ.पि.व.-एनसीएल / आ.क.व. से संबंधित अभ्यर्थी जो आवश्यक शैक्षणिक योग्यता / तकनीकी / व्यावसायिक अर्हताओं को पूरा करते हैं, वे भी अनारक्षित रिक्तियों में आवेदन कर सकते हैं। यद्यपि, उन्हें सामान्य अभ्यर्थियों के साथ प्रतिस्पर्धा करनी होगी और वे आयु में छूट सहित किसी भी छूट के लिए पात्र नहीं होंगे।

j) Community/EWS status as on the closing date for ONLINE Registration of application for this notice shall only be considered for availing reservation benefits if eligible and any request for change in the community/EWS status of the candidate thereafter shall not be entertained.

इस सूचना हेतु ऑनलाइन आवेदन पंजीकरण हेतु अंतिम तिथि तक ही समुदाय / आ.क.व. की स्थिति के आरक्षण का लाभ, यदि योग्य हो, लेने के लिए विचार किया जाएगा और उसके उपरांत अभ्यर्थी के समुदाय / आ.क.व. की स्थिति में परिवर्तन के लिए किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।

11. A candidate will be eligible to get the benefit of community reservation only in case the particular caste to which the candidates belongs is included in the list of reserved communities issued by the Central Government as on closing date of application.

एक अभ्यर्थी समुदाय आरक्षण का लाभ प्राप्त करने के लिए तभी पात्र होगा जब कि अभ्यर्थी जिस जाति का है, वह आवेदन करने की अंतिम तिथि पर केंद्र सरकार द्वारा जारी आरक्षित समुदायों की सूची में शामिल हो।

12. Once a candidate has chosen a reserved category, no request shall be entertained for change to other reserved category viz. SC to ST, ST to SC, OBC to SC/ST or SC/ST to OBC, SC to EWS, EWS to SC, ST to EWS, EWS to ST, OBC to EWS, EWS to OBC (or) any other such requests.

एक बार जब एक अभ्यर्थी किसी एक आरक्षित श्रेणी का चयन कर लेता है, तो अन्य आरक्षित श्रेणी में बदलाव के लिए किसी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा, जैसे कि अ.जा. से अ.ज.जा., अ.ज.जा. से अ.जा., अ.पि.व. से अ. जा./ अ.ज.जा. या अ. जा./ अ.ज.जा. से अ.पि.व., अ.जा. से आ.क.व., आ.क.व. से अ.जा., अ.ज.जा. से आ.क.व., अ. ज.जा. से आ.क.व., आ.क.व. से अ.ज.जा., अ.पि.व. से आ.क.व., आ.क.व. से अ.पि.व. (या) अन्य कोई भी ऐसे अनुरोध पर।

13. In case of a candidate unfortunately becoming physically disabled during the course of the recruitment process, the candidate should produce valid document showing him/her acquiring a disability to the extent of 40% or more as defined under The Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 to enable him/her to get the benefits of PwBD reservation for posts reserved under PwBD quota.

    भर्ती प्रक्रिया के दौरान यदि अभ्यर्थी के शारीरिक रूप से दिव्यांग हो जाता है तो ऐसी स्थिति में, अभ्यर्थी को दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के तहत परिभाषित 40% या उससे अधिक की दिव्यांगता के पक्ष में वैध दस्तावेज प्रस्तुत करना चाहिए, ताकि उन्हें पीडब्ल्यूबीडी कोटा के तहत आरक्षित पदों के लिए पीडब्ल्यूबीडी आरक्षण का लाभ मिल सकें।

14. Reservation policy as per GoI norms are as follows.

    भारत सरकार के मानदंडों के अनुसार आरक्षण नीति निम्न है।

Category	**Age relaxation**
SC/ST अ.जा./अ.ज.जा.	5 years against reserved posts only. केवल आरक्षित पदों के लिए 5 वर्ष।
OBC अ.पि.व.	3 years against reserved posts only. केवल आरक्षित पदों के लिए 3 वर्ष।
PWD with minimum 40% disability न्यूनतम 40% दिव्यांगता के साथ पीडब्ल्यूडी	10 years (15 years for SC/ST and 13 years for OBC) for the relevant category of disability. 10 वर्ष तक (अ.जा. / अ.ज.जा. के लिए 15 वर्ष और अ.पि.व. के लिए 13 वर्ष) दिव्यांगता की प्रासंगिक श्रेणी हेतु ।
Ex-servicemen/Disabled Defence Service Personnel भूतपूर्व सैनिक/ दिव्यांग रक्षा सेवा कर्मिक	1. Period of Service rendered in Army/Navy and Air force plus 3 years (8 years in case of disabled defence service personnel belonging to SC/ST) for Group C & erstwhile D posts Upper age limit up to 45 years (50 years of SC/ST) for Group C & erstwhile D posts as per

	Government of India norms. 1. समूह 'ग' और पूर्व के 'घ' पदों के लिए नौ सेना/थल सेना और वायु सेना में की गई सेवा की अवधि + 3 वर्ष (08 वर्ष अ,जा/अ,ज,जा, के दिव्यांग रक्षा सेवा कर्मिक हेतु) भारत सरकार के मानदंडों के अनुसार समूह 'ग' और पूर्व के 'घ' पदों के लिए ऊपरी आयु सीमा 45 वर्ष (अ.जा. / अ.ज.जा. के लिए 50 वर्ष)।
Meritorious Sportsperson प्रतिभाशाली खिलाड़ी	1. The categories of sportsperson specified in these instructions may be allowed relaxation in upper age limit upto a maximum of 5 years (10 years in case of those belonging to Schedule Castes and Schedule Tribes) for the purpose of appointment to posts specified. O.M. No. 15012/3/84-Estt.(D) dated 12.11.1987 इन निर्देशों में विनिर्दिष्ट खिलाड़ियों की श्रेणियों के पदों हेतु नियुक्ति में अधिकतम 5 वर्ष (अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों के मामले में 10 वर्ष) तक की ऊपरी आयु सीमा में छूट दी जा सकती है। का.ज्ञा.सं.15012/3/84-स्थापना(डी) दिनांक12.11.1987 । 2. This concession will be applicable only to those sportspersons who satisfy all other eligibility conditions relating to educational qualifications etc. and furnish a certificate from an authority prescribed for the purpose. यह छूट केवल उन खिलाड़ियों के लिए उपलब्ध होगी जो शैक्षणिक योग्यताओं आदि से संबंधित अन्य सभी पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं और इस उद्देश्य के लिए निर्धारित प्राधिकारी का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करते हैं।

15. There will be no maximum age limit for Indian Council of Forestry Research and Education (ICFRE) Permanent Employee.

भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं षिक्षा परिषद् (आई0सी0एफ0आर0ई0) के स्थायी कर्मचारियों हेतु अधिकतम आयु सीमा नहीं होगी।

16. The crucial date for age calculation will be the closing date of online application

उम्र निर्धारण के लिए आवेदन की अंतिम तिथि को मानक माना जाएगा।

17. All posts are temporary in nature but likely to continue further.

सभी पद अस्थायी हैं किन्तु स्थाई किये जा सकते है।

18. Sports person eligibility for recruitment भर्ती हेतु खिलाड़ी की पात्रता

a. Appointments can be made of sportspersons considered meritorious with reference to any of the following criteria: निम्नलिखित मानदंडों के संदर्भ में मेधावी माने जाने वाले खिलाड़ियों की नियुक्ति की जा सकती है:

i. Sportspersons who have represented a State or the country in the National or International competition in any of the games/sports mentioned in Annexure 'A' to this Chapter. वै खिलाड़ी जिन्होंने इस अध्याय के अनुलग्नक 'अ' में वर्णित किसी भी खेल में राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में किसी राज्य या देश का प्रतिनिधित्व किया है।

ii. Sportspersons who have represented their University in the Inter-University Tournaments conducted by the Inter-University Sports Boards in any of the sports/games specified in Annexure 'A', as amended from time to time.

वै खिलाड़ी जिन्होंने समय-समय पर संशोधित अनुलग्नक 'अ' में विनिर्दिष्ट किसी भी खेल में अंतर-विश्वविद्यालय खेल बोर्ड द्वारा आयोजित अंतर-विश्वविद्यालयी टूर्नामेंट में अपने विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व किया है।

iii. Sportspersons who have represented the State School Teams in the National Sports/games for schools conducted by the All India School Games Federation in any of the games/ sports mentioned in Annexure 'A'.

वै खिलाड़ी जिन्होंने अनुलग्नक 'अ' में वर्णित किसी भी खेल में अखिल भारतीय विद्यालय खेल संघ द्वारा विद्यालयों के लिए संचालित राष्ट्रीय खेलों में राजकीय विद्यालयी टीमों का प्रतिनिधित्व किया है।

iv. Sportspersons who have been awarded National Awards in Physical Efficiency under the National Physical Efficiency Drive.

वै खिलाड़ी जो राष्ट्रीय शारीरिक दक्षता अभियान के तहत शारीरिक दक्षता में राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित हैं।

b. No such appointments can be made unless the candidate is, in all respects, eligible for appointment to the post applied for, and in particular, with regard to age, educational or experience qualifications prescribed under the Recruitment Rules, except to the extent to which relaxations thereof have been permitted in respect of class/category of persons to which the applicant belongs.

ऐसी कोई भी नियुक्ति तब तक नहीं दी जा सकती है, जब तक कि अभ्यर्थी, सभी तरह से और विशेष रूप से, भर्ती नियमों के तहत निर्धारित आयु, शैक्षणिक या अनुभव योग्यता के अंतर्गत पद के लिए आवेदन करने हेतु पात्र न हो तथा इसके अतिरिक्त यह कि आवेदक जिस वर्ग / जिस श्रेणी का है, उसके संबंध में किस सीमा तक छूट की अनुमति दी गई हो।

19. Number of posts indicated may increase or decrease as per the Institute requirement.

    दर्शाए गए पदों की संख्या संस्थान की आवश्यकता के अनुसार बढ़ या घट सकती है।

20. The Institute reserves the right to not to fill the post advertised and rejecting any or all of the applications without assigning any reason thereof.

    संस्थान को विज्ञापित पद न भरने एवं किसी भी या सभी आवेदनों को बिना किसी कारण बताए अस्वीकार करने का अधिकार है।

21. Positions may be filled from the applicants belonging to Physically Handicapped Category (Persons with disabilities) if found suitable, even if the post is not reserved under PwD category.

    उपयुक्त पाए जाने पर पद शारीरिक रूप से दिव्यांग श्रेणी (दिव्यांग व्यक्ति) के आवेदकों से भी भरे जा सकते हैं, भले ही वे पद पीडब्ल्यूडी श्रेणी के तहत आरक्षित नहीं हों।

22. Application from the candidates working in Government Departments, Public Sector Undertakings and Government Funded Research Agencies must be sent through proper channel and with a clear certificate that the applicant (if selected) will be relieved within one month of receipt of appointment order along with Vigilance Clearance Certificate. However, online application may be submitted before the last date as an advance copy. They are required to submit NOC at the time of appearing for document verification, failing which the candidate will not be considered for the post.

    सरकारी विभागों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और सरकारी वित्तपोषित अनुसंधान एजेंसियों में काम करने वाले अभ्यर्थियों को आवेदन उचित माध्यम द्वारा ही प्रेषित करना चाहिए और इसके साथ सतर्कता अनापत्ति प्रमाणपत्र सहित एक स्पष्ट प्रमाण पत्र भेजा जाना चाहिए जिसमें यह उल्लेख हो कि आवेदक (यदि चयनित) को नियुक्ति आदेश पत्र प्राप्त होने के एक महीने के भीतर कार्यमुक्त कर दिया जाएगा। हालांकि, ऑनलाइन आवेदन अग्रिम प्रति के रूप में अंतिम तिथि से पहले प्रस्तुत किए जा सकते है। उनसे दस्तावेज सत्यापन के लिए उपस्थित होने के समय अनापत्ति प्रमाण पत्र जमा करने की अपेक्षा की जाती है, ऐसा न करने पर अभ्यर्थी को पद के लिए विचार नहीं किया जाएगा।

23. Decision of the appointing authority in all matter relating to the eligibility of the candidate, screening / Skill / Written test and selection would be final and binding on all the candidates.

    अभ्यर्थियों की पात्रता, स्क्रीनिंग/ कौशल / लिखित परीक्षा और चयन से संबंधित सभी मामलों में सभी अभ्यर्थियों पर नियुक्ति प्राधिकारी का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा।

24. The appointment of the selected candidates will be subject to their being found medically fit as per the requirements of the Institute.

चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति संस्थान की आवश्यकतानुसार चिकित्सकीय रूप से स्वस्थ पाए जाने के उपरांत ही होगी।

25. The Institute shall verify the antecedents or documents submitted by a candidate at any time, at the time of appointment or during the tenure of the services. In case, it is detected that the documents submitted by the candidates are fake or the candidate has doubtful / unacceptable antecedents / background and has suppressed the said information, then his / her services shall be terminated forthwith and in addition, legal action may be initiated against such candidates / employees as per law.

संस्थान नियुक्ति के समय या सेवाकार्यकाल के दौरान किसी भी समय किसी अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत पूर्ववृत्त या दस्तावेजों का सत्यापन कर सकता है। यदि यह पाया जाता है कि अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत किए गए दस्तावेज नकली हैं या अभ्यर्थी के पूर्ववृत्त संदिग्ध / अस्वीकार्य योग्य / पृष्ठभूमि के पाए जाते है और दी गई जानकारी को छिपाई जाती है, तो उसका / उसकी सेवाएं तत्काल समाप्त कर दी जाएगी और इसके अतिरिक्त, अभ्यर्थियों/कार्मिकों के विरुद्ध नियमानुसार कानूनी कार्रवाई शुरू की जा सकती है।

26. Candidates who desire to apply for more than one post should apply online separately for each post.

जो अभ्यर्थी एक से अधिक पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं, उन्हें प्रत्येक पद के लिए अलग से ऑनलाइन आवेदन करना होगा।

27. In case of any corrigendum / addendum pertaining to this advertisement, the same shall be published in the Institute's website only.

इस विज्ञापन से संबंधित किसी भी शुद्धिपत्र/परिशिष्ट को संस्थान की वेबसाइट पर ही प्रकाशित किया जाएगा।

28. Online submission of application can only be made at website http//frirecruitment.icfre.gov.in & http//fri.icfre.gov.in. Detailed instructions are available at this website. Candidates should read the instruction carefully before making details while filling up the online form. Compulsory fields are marked with* (asterisk) sign.

ऑनलाइन आवेदन केवल वेबसाइट http://frirecruitment.icfre.gov.in तथा http//fri.icfre.gov.in पर जमा किया जा सकता है। विस्तृत निर्देश इस वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। अभ्यर्थियों को किसी भी प्रविष्टि या चयन करने से पहले निर्देशों को ध्यान से पढ़ना चाहिए। ऑनलाइन फार्ॅम भरते समय अभ्यर्थियों द्वारा सभी आवश्यक विवरणों को भरा जाना चाहिए। अनिवार्य फ़ील्ड '*' (तारांकन) चिहन के साथ चिहिनत हैं।

29. Application should be submitted ONLINE only through website http//frirecruitment.icfre.gov.in. & http//fri.icfre.gov.in from 17 Aug 2020 from 10:00 AM onwards to 15 Sep 2020 Till 5:00 pm No other mode of application submission will be accepted.

आवेदन केवल वेबसाइट http://frirecruitment.icfre.gov.in तथा http//fri.icfre.gov.in के माध्यम से दिनांक 17-08-2020 प्रातः 10:00 बजे से 15-09-2020 सांय 05:00 बजे तक ऑनलाइन जमा किए जा सकते हैं। आवेदन जमा करने का कोई अन्य तरीका स्वीकार नहीं किया जाएगा।

30. Candidates are advised in their own interest to submit online applications much before the closing date and not to wait till the last date to avoid the possibility of disconnection/ inability or failure to login to the FRI website on account of heavy load on the website during the closing date.

उम्मीदवारों को उनके स्वयं के हित में सलाह दी जाती है कि वे अंतिम तिथि से बहुत पहले ऑनलाइन आवेदन जमा करें और अंतिम तिथि तक प्रतीक्षा न करें क्योंकि अंतिम दिनों में वेबसाइट पर भारी लोड होने के कारण डिस्कनेक्ट/अक्षमता या एफआरआई वेबसाइट पर लॉगिन करने में विफलता की संभावना हो सकती है।

31. The crucial date for age calculation will be Last date of submission of online application form.

आयु गणना के लिए महत्वपूर्ण तिथि ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि होगी

32. No interview will be conducted for advertised post(s) however trade test/skill test etc. will be conducted wherever applicable. विज्ञापित पद के लिए कोई साक्षात्कार आयोजित नहीं किया जाएगा, हालांकि व्यापार परीक्षण / कौशल परीक्षण आदि जहां कहीं भी लागू किया जाएगा।

33. No request with respect to the change in any data submitted by the candidates in the online application form will be entertained once it is finally submitted.

अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र अंतिम रूप से जमा किए जाने के बाद किसी भी डेटा में परिवर्तन के संबंध में किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।

34. Translation ambiguity, if any, will be resolved as per the English version.

अनुवाद की अस्पष्टता, यदि कोई हो, को अंग्रेजी संस्करण से सुलझाया जा सकता है।

35. The mere fact that a candidate has been called for written examination and/or trade test does not imply that his/her candidature has been finally cleared by FRI. The candidate must note that if his/her ineligibility is detected at any stage before or after the written examination and/or trade test or if the conditions prescribed in the Rules and Instructions given in the advertisement or any other additional information/documents called for at any stage are not complied with within the time specified therein, his/her candidature will be liable for cancellation. The FRI will not be responsible for cancellation of candidature on this account. केवल इस तथ्य कि किसी अभ्यर्थी को लिखित परीक्षा और/या **व्यवसाय परीक्षा** के लिए बुलाया गया, को उसके/उसकी अभ्यर्थिता को अंततः

एफआरआई द्वारा मंजूरी दिया जाना नहीं समझा जाना चाहिए। अभ्यर्थी को यह ध्यान रखना चाहिए कि यदि लिखित परीक्षा और/या साक्षात्कार से पहले या बाद में किसी भी स्तर पर उसकी अयोग्यता का पता लगता है या यदि विज्ञापन में दिए गए नियम और निर्देशों में निर्धारित शर्तों या किसी अन्य अतिरिक्त जानकारी/दस्तावेजों को किसी भी चरण में मांगा जाता है, का उसमें निर्दिष्ट समय के भीतर अनुपालन नहीं किया जाता है, तो यह उसकी अभ्यर्थन रद्द करने के लिए उत्तरदायी होगा। एफआरआई इस आधार पर अभ्यर्थन को रद्द करने के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।

36. Based on the merit, the candidates belonging to reserved categories i.e. SC/ST/OBC/EWS are also eligible to be considered against the un-reserved vacancies, if no relaxation in age and no relaxation in qualifying marks in written examination has been availed by such reserved category candidates. If any concession in age and relaxation in qualifying standard is availed, such candidates will be eligible for consideration only against vacancies reserved for them.

    यदि आरक्षित श्रेणी के किसी अभ्यर्थी ने आयु में कोई छूट नहीं ली है और लिखित परीक्षा में अर्हक अंकों में कोई छूट नहीं ली है तो योग्यता के आधार पर, आरक्षित श्रेणियों यानी अ.जा./अ.ज.जा/ अ.पि.व./ई.डब्ल्यू.एस. के अभ्यर्थी भी अनारक्षित रिक्तियों के लिए विचार किये जाने के पात्र हैं। यदि आयु में कोई रियायत और योग्यता मानक में किसी भी छूट का लाभ उठाया जाता है, तो ऐसे अभ्यर्थी केवल उनके लिए आरक्षित रिक्तियों के लिए ही विचार के लिए पात्र होंगे।

37. **Date and time of written test:** will be announced later to the candidates on FRI website.

    लिखित परीक्षा की तिथि और समय: उम्मीदवारों को बाद में एफआरआई वेबसाइट पर सूचित किया जाएगा

38. The decision of the competent authority as to the eligibility or otherwise of a candidate for admission to the examination shall be final.

    किसी भी अभ्यर्थी हेतु परीक्षा में प्रवेश के लिए योग्यता या अन्य रूप से पात्रता के संबंध में सक्षम प्राधिकारी का निर्णय अंतिम होगा।

39. Any attempt on the part of a candidate to obtain support for his/her candidature by any means may disqualify him for admission to the examination.

    अभ्यर्थी की ओर से उसकी अभ्यर्थन के लिए समर्थन प्राप्त करने का किसी भी माध्यम से कोई भी प्रयास उसे परीक्षा में प्रवेश के लिए अयोग्य घोषित कर सकता है।

40. All the future correspondences regarding the further selection process, shortlisting of candidates and important dates like written test, trade test etc. shall be uploaded on the Institute's website http//frirecruitment.icfre.gov.in. & http//fri.icfre.gov.in. It shall be the responsibility of the candidates to check the same time to time.

चयन प्रक्रिया, अभ्यर्थियों की संक्षिप्त सूची तथा लिखित परीक्षा, व्यवसाय परीक्षा आदि जैसे महत्वपूर्ण तिथियों के बारे में भविष्य के सभी पत्राचार संस्थान की वेबसाइट http//frirecruitment.icfre.gov.in. & http//fri.icfre.gov.in पर अपलोड किए जाएंगे। वेबसाईट को समय-समय पर देखना उम्मीदवारों की जिम्मेदारी होगी।

41. Canvassing in any form and / or bringing any influence, political, or otherwise, will definitely be treated as a disqualification for the post applied for.

किसी भी प्रकार की संयाचना करने और/ या किसी भी राजनीतिक या अन्य दबाव बनाने से आवेदन किए गए पद हेतु अभ्यर्थी को अयोग्य माना जाएगा।

42. Application incomplete in any respect will be summarily rejected. No interim enquiries / correspondence / communication of any sort will be entertained on the matter.

किसी भी स्थिति में अपूर्ण आवेदन को तुरंत अस्वीकार कर दिया जाएगा। उक्त मामले पर किसी भी प्रकार की कोई अंतरिम पूछताछ/पत्राचार/संपर्क पर विचार नहीं किया जाएगा।

43. SC/ST/PWD/Female are exempted from payment of application fee. Only processing fee are to be paid by them.

अनुसुचित जाति/अनुसुचित जन जाति/दिव्यांग/महिला अभ्यर्थियों हेतु आवेदन शुल्क के भुगतान से छूट है। उनके द्वारा केवल प्रसंस्करण शुल्क का भुगतान किया जाना है।

44. An application and processing fee for Gen/OBC/EWS applicants is Rs. 700/- and only processing fee for SC/ST/PWD/Female applicants is Rs.300/- has to be paid while filling the online application.

सामान्य/अन्य पिछडा वर्ग/आर्थिक पिछडा वर्ग के अभ्यर्थियों हेतु आवेदन व प्रसंस्करण शुल्क रू0 700/– और अनुसुचित जाति/अनुसुचित जन जाति/दिव्यांग/महिला अभ्यर्थियों हेतु केवल प्रसंस्करण शुल्क रू0 300/– निर्धारित है जो ऑनलाइन आवेदन भरते समय भुगतान किया जाना है।

45. The application fee and processing fee once paid will not be refunded or re-adjusted under any circumstances.

एक बार भुगतान किया गया आवेदन शुल्क व प्रसंस्करण शुल्क किसी भी परिस्थिति में वापस या पुनः समायोजित नहीं किया जाएगा।

46. Examination centre will be intimated later in admit card issued by the institute.

परीक्षा केन्द्र की जानकारी संस्थान द्वारा जारी प्रवेष पत्र में उपलब्ध होगी।

47. Legal disputes, if any, shall be subject to the jurisdiction of the competent court in the state of Uttarakhand.

कानूनी विवाद, यदि कोई हो तो उत्तराखंड राज्य के सक्षम न्यायालय के अधिकारिता के अधीन होगा।

ANNEXURE 'A'

List of sports which qualify for appointment of meritorious sportspersons

S.No.	Name of the sport	S.No.	Name of the sport
1.	Archery	2.	Athletics (including Track and Field events)
3.	Atya-Patya	4.	Badminton
5.	Ball-Badminton	6.	Basketball
7.	Billiards and Snooker	8.	Boxing.
9.	Bridge	10.	Carrom
11.	Chess	12.	Cricket
13.	Cycling	14.	Equestrian Sports
15.	Football	16.	Golf
17.	Gymnastics (including Body Building)	18.	Handball
19.	Hockey	20.	Ice-Skiing
21.	Ice-Hockey	22.	Ice-Skating
23.	Judo	24.	Kabaddi
25.	Karate-DO	26.	Kayaking and Canoeing
27.	Kho-Kho	28.	Polo
29.	Power lifting	30.	Rifle Shooting
31.	Roller Skating	32.	Rowing
33.	Soft Ball	34.	Squash
35.	Swimming	36.	Table Tennis
37.	Taekwondo	38.	Tenni-Koit
39.	Tennis	40.	Volleyball
41.	Weightlifting	42.	Wrestling
43.	Yatching		

(Annexure 'A' to O.M. No. 14015/1/76-Estt. (D) dated 4th August, 1980, Para 1 of O.M. No. 14034/4/85-Estt. (D) dated 18th September, 1985, Appendix to O.M. No. 14034/1/91-Estt. (D) dated 21st March, 1991 & Para 3 of O.M. No. 14034/1/2009-Estt. (D) dated 24th November, 2009)